एक किलो 90 ग्राम चरस के साथ दबोचा गया तस्कर

संसू, श्रावस्ती : भिनगा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई। पुलिस ने तस्कर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि एएसपी प्रवीण कुमार यादव व सीओ भिनगा अतुल कुमार चौबे के निर्देशन में भिनगा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय पुलिस टीम के साथ भिनगा–मल्हीपुर मार्ग पर पुलिया गंजी घाट पर संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति भंगहा गांव से अस्पताल मार्ग की ओर पक्की सड़क से भिनगा–मल्हीपुर मार्ग की ओर आता दिखा। उसके दाहिने हाथ में एक सफेद झोला था। पुलिस टीम को जांच करते न देख पाने के कारण वह टीम के नजदीक आ गया। जांच करते देख ठिठक कर रुक गया और घबरा कर तुरंत पीछे मुड़कर तेज कदमों से वापस भंगहा गांव की ओर जाने लगा। शक होने पर टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। नाम–पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राजकुमार वर्मा निवासी दयारामपुरवा भिनगा कोतवाली बताया। तलाशी लेने पर झोले से एक किलो 90 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक के अलावा भंगहा पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश यादव, आरक्षी अरविंद व वीरेंद्र शामिल रहे।

भगवान श्रीराम व हिंदू समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाला बंदी

जासं, श्रावस्ती : इंटरनेट मीडिया पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम व हिंदू समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को भिनगा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय पर प्रस्तुत किया। भिनगा नगर के नई बाजार निवासी शाहिल उर्फ मुक्की ने इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम पर भगवान श्रीराम व हिंदू समाज को लेकर अपमानजनक शब्द पोस्ट किए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी। प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार को आरोपित सिरसिया मार्ग होते हुए नेपाल जाने की फिराक में था। इसी दौरान उसे भिनगा जंगल स्थित अंटा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के अलावा अतिरिक्त निरीक्षक लाल साहब सिंह, आरक्षी अरुण कुमार, ज्ञानचंद शामिल रहे।

गैंगस्टर को तीन साल की सजा, 16 हजार जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के एक गैंगस्टर को न्यायालय ने दो अलग अलग मामलों में तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

इकौना क्षेत्र के ग्राम खानपुर बुढ़नी निवासी इंद्रजीत उर्फ नगई मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। इंद्रजीत पर गिरफ्तार करने गई इकौना पुलिस पर वर्ष 2001 में तमंचे से फायर करने का अभी आरोप था। उसके खिलाफ पुलिस ने प्राणघातक हमले के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। आरोप है कि जमानत पर छूटने के बाद वह अवैध कार्य में लिप्त था। वह गैंग बना कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा।

इकौना क्षेत्र का मामला, अपर जिला जज ने सुनाई सजा

इस पर पुलिस ने उसके विरुद्ध दोबारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। इस मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज त्वरित न्यायालय करुणा सिंह ने दोनों ही मामलों में तीन-तीन साल की कैद व प्राणघातक हमले के मामले में 11 हजार व गैंगस्टर एक्ट में पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेज दिया गया।

पयागपुर के तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना

बहराइच। जनसूचना अधिकार के तहत सूचना देने में हीलाहवाली करना तहसीलदार पयागपुर पर भारी पड़ा। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जुर्माने की धनराशि तहसीलदार के वेतन से वसूलने के आदेश दिए हैं। पयागपुर क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी ननकऊ प्रसाद ने जनसूचना अधिकार के तहत आठ बिंदुओं पर तहसीलदार पयागपुर से सूचनाएं मांगी थी। तहसीलदार ने ननकऊ को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। इसकी शिकायत ननकऊ ने राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की कोर्ट में की। पत्रावली पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने तहसीलदार को कोर्ट में उपस्थित होकर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद तहसीलदार ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। तहसीलदार सूचना आयुक्त की कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुए। इसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने तहसीलदार पयागपुर के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने प्रदेश के प्रमुख सचिव राजस्व को अर्थदंड की धनराशि की वसूली तहसीलदार पयागपुर के वेतन से कराने के आदेश दिए हैं। (संवाद)